कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्र संख्या 330/एसटी–सी0एम/2022 दिनांक 15–10–2022

श्री चेतन राज
डायरेक्टर कौटिल्य प्रमोशन 294 शक्ति खण्ड–4 इन्दिरापुरम निवासी मोहल्ला मोहम्मदपुरा जादो गौतमबुद्धनगर
द्वारा श्री रूपेश चौहान प्रबन्धक केचप मीडिया 265 शक्ति खण्ड–4 इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

कृपया जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13–10–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा हैण्डीकाफ्ट हैण्डमेड प्रदर्शनी स्थान–हैबीटेट सेन्टर इन्दिरापुरम गाजियाबाद में संचालित किये जाने की अनुमति चाही गई है। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस से आख्या प्राप्त की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15–10–2022 प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त कार्यक्रम उपरोक्त स्थल पर किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सशर्त संस्तुति प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा इन्दिरापुरम हैबीटेट सेन्टर प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 12–10–2022 की प्रति दाखिल की गई है जिसमें श्री चेतन राज मैसर्स कोटील्य प्रोमोटर्स कम्पनी स्थित प्लॉट नम्बर–294 शक्ति खण्ड–4 इन्दिरापुरम गाजियाबाद को प्रदर्शनी के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा अपनें पत्र संख्या 195I/प्रवर्तन जोन–6/2022 दिनांक 11–10–2022 के द्वारा इन्दिरापुरम हैबीटेट सेन्टर में प्रदर्शनी आयोजन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य अंकित नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार स्थानीय पुलिस की अनापत्ति एवं आपकी ओर से प्रस्तुत अभिलेखो एवं शपथ पत्र दिनांक 15–10–2022 तथा श्री रूपेश चौहान प्रबन्धक केचप मीडिया 265 शक्ति खण्ड–4 इन्दिरापुरम गाजियाबाद की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15–10–2022 के आधार पर आपको **हैण्डीकाफ्ट हैण्डमेड प्रदर्शनी स्थान–हैबीटेट सेन्टर इन्दिरापुरम गाजियाबाद में दिनांक 15–10–2022 से दिनांक 15–11–2022 तक (कुल एक माह)** निम्न शर्तो के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि:–

1. आयोजक यातायात के सम्पूर्ण नियमों का पालन करेगे तथा यातायात बाधित नहीं करेगे तथा अपनें निजी खर्चे पर गार्डो के द्वारा कार्यक्रम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेगें।
2. आयोजको द्वारा सडक/पटरी/सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करते हुए आयोजन नहीं किया जायेगा तथा विवादित परिसर को अपनें प्रयोग में नहीं लायेगे।
3. ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग धीमी गति से मानक के अनुसार एवं निर्धारित समय सीमा में ही किया जायेगा तथा रात्रि 10–00 बजे के बाद ध्वनि प्रसारण यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
4. आयोजक कार्यक्रम स्थल की अनापत्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे ।
5. आयोजन के दौरान यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही से कोई अप्रिय घटना होती है तो सम्बन्धित आयोजनकर्ता के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
6. कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के अग्नि से सम्बन्धित उपकरणों तथा ज्वलनशील कपडे इत्यादि का प्रयोग वर्जित होगा।
7. आयोजन के स्टॉल्स को इस रूप में व्यवस्थित किया जायेगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी दशा में निकास/आगमन मार्ग अवरूद्ध न होने पाये।
8. आयोजन में किसी भी प्रकार की अग्नि से सम्बन्धित आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए ए0बी0एस0फायर एक्सटिंग्यूशन आदि अग्नि शमन से सम्बन्धित उपकरणो की पर्याप्त व्यवस्था आयोजन स्थल पर रखी जायेगी ।
9. आयोजन में विधुत सुरक्षा के पर्याप्त इन्तजाम/व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजको की रहेगी।
10. सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम में क्लोज सर्किट कैमरे उचित स्थानों पर लगाना अनिवार्य होगा।
11. समस्त आयोजको को अपना पूर्ण विवरण पता इत्यादि मॉल प्रबन्धन को देना अनिवार्य होगा।
12. यदि कार्यक्रम आयोजन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश शासन/राज्य सरकार/निर्वाचन आयोग/अन्य उच्चत्तर से कोई प्रतिबन्ध/धारा–144/चुनाव आर्दश आचार संहित लागू होती है तो उसका आयोजको द्वारा पूर्णतः पालन किया जायेगा।
13. यदि आपकी ओर से प्रस्तुत कोई अभिलेखो मिथ्या/फर्जी पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी और सम्बन्धित आयोजको के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
14. जी0एस0टी कर जमा करने का दायित्व आयोजको का रहेगा जिसके लिए सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार जी0एस0टी कर जमा किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन न होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगा अथवा किसी अपरिहार्य स्थिति में दी गई अनुमति निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद

नगर मजिस्ट्रेट
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।
नगर मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।
2– पुलिस अधीक्षक नगर गाजियाबाद।
3– उप निदेशक विधुत सुरक्षा , अग्नि सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद।
4– प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
5– प्रबन्धन हैबीटेट सेन्टर इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

नगर मजिस्ट्रेट
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।